उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 99/2017/592/92-2-2017-72आरईएस/2000

लखनऊ :: दिनांक:: 21 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

टेक्निकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिचांई विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक एवं सहायक प्राविधिक परीक्षक के पदों पर भरे जाने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6805/38-9/4एम/89, दिनांक 05-11-1994 के क्रम में अवगत है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य किये जाते है। उक्त निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु शासन के अधीन तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ कार्यरत है। प्रकोष्ठ में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक के 1-1 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों हेतु चिन्हित है तथा 03 अन्य प्राविधिक परीक्षक का पद लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिशासी अभियंताओं के लिये चिन्हित है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ में प्रतिनियुक्ति पर अपेक्षित अभियंता प्राप्त नही हो पाते है, जिसके कारण प्रकोष्ठ में यदा-कदा अभियंताओं की कमी बनी रहती है।

उक्त के दृष्टिगत विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्तमान व्यवस्था के सुदृढीकरण की आवश्यकता महसूस हुई है। प्रदेश में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेजों व तकनीकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन शिक्षाविदों एवं छात्रों के ज्ञान का लाभ लेकर निर्माण कार्यो की गुणवत्ता को और बढाया जा सकता है। उपरोक्त विशेषज्ञों की क्षमता का प्रयोग करने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1- प्रदेश के प्रतिष्ठित राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी संस्थानों से सहमति के आधार पर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 05 स्नातकोत्तर छात्रों/छात्राओं जिसमें यथासंभव 01 प्रोफेसर/लेक्चरर को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक संस्थान से 05 सदस्यों की एक टीम चिन्हित की जाय, जिसको उस संस्थान के निकट के क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यो का स्थलीय तकनीकी परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला परीक्षण आदि करके, कार्य के संबंध में अपनी आख्या देने का दायित्व दिया जाय। इस हेतु निम्नलिखित संस्थानों को चिन्हित किया गया है :-

(I) मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नालॉजी, गोरखपुर।

(II) के0एन0आई0टी, सुलतानपुर।

(III) एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद।

(IV) एच0बी0टी0आई0, कानपुर।

(V) इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, बुन्देलखण्ड यूनिवसिटी, झॉसी।

(VI) डॉ0 जाकिर हुसैन, कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, ए0एम0यू0, अलीगढ।

(VII) आई0ई0टी0, लखनऊ।

(VIII) आई0आई0टी0, कानपुर।

(IX) आई0आई0टी0, रूडकी।

(X) आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त सूची में स्थित संस्थान प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थित है तथा इनसे लगभग सभी जिलों में लाभ लिया जा सकता है। आई0ई0टी0, रूडकी प्रदेश के बाहर का संस्थान है परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों से इसकी निकटता तथा सिविल इंजीनियरिंग में इस संस्थान की देश में साख को देखते हुये इसे भी उपरोक्त सूची में सम्मिलित किया गया किया गया है।

3- विशेषज्ञों की उक्त टीम को दिये जाने वाले मानदेय/भत्तों आदि के निर्धारण के लिये प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के सम्पादन हेतु नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के कार्यालय आदेश संख्या-4725/ए-63/यूपीआरआरडीए/2016 दिनांक 10.01.2017 द्वारा स्टेट क्वालिटी मॉनीटर को अनुमन्य मानदेय तथा दैनिक भत्तों के अनुरूप निर्धारित किया गया है :-

(क) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में स्टेट क्वालिटी मानीटर के 05 सदस्यीय टीम हेतु प्रति निरीक्षण प्रतिदिन 3500.00 रू0 मानदेय अनुमन्य होगा जो कि 700.00 रू0 प्रति सदस्य देय होगा।

(ख) दैनिक भत्ते के रूप में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हेतु विशेषज्ञ टीम के प्रत्येक सदस्य के लिये रू0 500.00 प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय होगा।

(ग) राजकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में यात्रा व्यय के रूप में ए0सी0 द्वितीय श्रेणी के रेलवे का किराया या वास्तविक व्यय जो भी कम होगा, देय होगा।

3- उपरोक्तानुसार सूचीबद्व किये गये राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों व तकनीकी संस्थानों से उपरोक्त के अनुसार मानदेय भत्ता व अन्य शर्तो आदि पर सहमति प्राप्त की जायेगी तथा सहमति प्राप्त होने के उपरान्त इन संस्थानों के निकटवर्ती जनपदों से तदानुसार संस्थानों से सम्बद्व किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार मानदेय भत्ते, यात्रा व्यय आदि पर आने वाले व्यय का भुगतान टीम से संबंधित सदस्यों को अधिशासी अभियंता द्वारा किया जायेगा तथा इसका वहन कार्यो के प्राक्कलनों में स्वीकृत गुणवत्ता नियंत्रण/कन्टीजेन्सी मद की धनराशि से किया जायेगा।

5- वर्तमान में शासन के अधीन कार्यरत टेक्नीकल आडिट सेल पूर्व की भांति कार्य करता रहेगा।

6- उपरोक्त व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यो पर लागू नही होगी क्योंकि वहाँ पर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा स्टेट क्वालिटी मानीटर को नामित करके गुणवत्ता नियंत्रण के कार्य को पहले से ही करवाया जा रहा हैं।

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 99/2017/592(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, सिचांई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिचांई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- रजिस्टार, आई0ई0टी0, लखनऊ।
8- रजिस्टार, आई0आई0टी0, कानपुर।
9- रजिस्टार, आई0आई0टी0, रूडकी।
10- रजिस्टार, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी।
11- रजिस्टार, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नालॉजी, गोरखपुर।
12- रजिस्टार, के0एन0आई0टी, सुलतानपुर।
13- रजिस्टार, एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद।
14- रजिस्टार, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
15- रजिस्टार, इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, बुन्देलखण्ड यूनिवसिटी, झॉसी।
16- रजिस्टार, डॉ0 जाकिर हुसैन, कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, ए0एम0यू0, अलीगढ।
17- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 शफकत कमाल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।